भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3672

दिनांक 21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

श्री विजयपुरम में एम्स केन्द्र

†3672. श्री बिष्णु पद रायः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार इस बात से अवगत है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य ने श्री विजयपुरम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना करने और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह आयुर्विज्ञान संस्थान (एएनआईआईएमएस) को एम्स के दायरे में लाने के लिए सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को अनुरोध पत्रों के माध्यम से एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की गई/की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत, किफायती/विश्वसनीय विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करने और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से 22 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) की स्थापना को मंजूरी दी गई है। पीएमएसएसवाई के वर्तमान चरण में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के श्री विजयपुरम में एक नए एम्स की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा, नए एम्स, एम्स अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में स्थापित किए जाते हैं। सभी एम्स ग्रीनफील्ड परियोजनाएं हैं और अधिनियम के तहत किसी मौजूदा संस्थान को एम्स के दायरे में लाने का कोई प्रावधान नहीं है।

****